थाना सहसवान पुलिस द्वारा चोरी किये गए लोहे के कुल 231 पाईप, जिनमें उझानी से चोरी किए कुल 100 पाईप (कीमत लगभग 14 लाख साठ हजार रुपये) तथा सहसवान क्षेत्र से कुल चोरी 131 पाईप (कीमत लगभग 18 लाख रुपये) सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूँ के पर्यवेक्षण मे एवं क्षेत्राधिकारी सहसवान के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित / वारंटी अभि0गण की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना सहसवान पुलिस द्वारा दिनांक 30.08.2023 को मुकदमा वादी ताहिर पुत्र शिफातुल्ला निवासी ग्राम बुझवा थाना हरियावा जनपद हरदोई की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 468/23 धारा 379 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था, जिसमे दिनांक 24/25.08.2023 की रात्रि में जल जीवन निगम योजना के 131 पाइप चोरी हुए थे। उपरोक्त के क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा आज दिनाँक 01-09-2023 को एक अभियुक्त राकेश पुत्र इतवारी निवासी ग्राम द्वारिकाला थाना जुनावाई जनपद संभल के कब्जे से लिप्टिस के बाग में छिपाये हुए कुल 231 लोहे के पाईप बरामद हुए। अभियुक्त राजेश उपरोक्त से पूछताछ पर ने बताया कि मैने तथा मेरे साथी दुर्वेश पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सिलहरी थाना सहसवान जनपद बदायूँ, इन्दल उर्फ सोनू पुत्र रामौतार निवासी ग्राम धानसिंहपुर थाना सहावर जनपद कासगंज तथा सुमन पुत्र त्रिवेणी निवासी म0नं0 352 गंली नं0 11 ब्लाक साकेत मण्डावली ईस्ट दिल्ली हम चारो ने मिलकर दिनांक 24/25.08.2023 की रात्रि मे सैफुल्लागंज से कुल 131 पाईप (कुल कीमत लगभग 18 लाख रुपये) तथा दिनांक 10/11.08.2023 की रात्रि को कछला घाट से 100 पाईप (कुल कीमत लगभग 14 लाख साठ हजार) चोरी किये थे। जो हमने चोरी किये हुए पाईप किराये पर गाडी की व्यवस्था करके यह सभी पाईप लिप्टिस के बाग में रखवा दिये थे, चूँकि हमे यह पाईप मथुरा ले जाने थे, लेकिन गाडी की व्यवस्था नही हो पाने के कारण नही ले जा सके। आज हम चारो लोग इन चोरी किये पाईपो को यहाँ से भरकर मथुरा ले जाते, मेरे अन्य तीन साथी इन पाईपो को ले जाने के लिए वाहनो का इन्तजाम करने गये थे। तो मुझे पुलिस ने मौके पर पकड लिया । मुकदमा उपरोक्त धारा 411 IPC की बढोत्तरी की गयी, तथा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. राकेश पुत्र इतवारी निवासी ग्राम द्वारिकाला थाना जुनावाई जनपद संभल 2. दुर्वेश पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सिलहरी थाना सहसवान जनपद बदायूँ 3. इन्दल उर्फ सोनू पुत्र रामौतार निवासी ग्राम धानसिंहपुर थाना सहावर जनपद कासगंज 4. सुमन पुत्र त्रिवेणी निवासी म0नं0 352 गंली नं0 11 ब्लाक साकेत मण्डावली ईस्ट दिल्ली के नाम प्रकाश आये। गिरफ्तार शुदा अभि0 राजेश उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. राजेश पुत्र इतवारी निवासी ग्राम द्वारीकला थाना जुनावाई जनपद सम्भल

अभियुक्त राजेश का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 468/23 धारा 379/411 IPC थाना सहसवान

2. मु0अ0सं0 408/23 धारा 379/411 IPC थाना उझानी

3. मु0अ0सं0 601/21 धारा 323, 342, 354, 504, 506 IPC व 3(1)(घ), 3(1)(द) SC/ST ACT थाना जुनावाई जनपद सम्भल

4. मु0अ0सं0 156/22 धारा 13 G ACT थाना जुनावाई जनपद सम्भल

5. मु0अ0सं0 189/22 धारा 323/504/506 IPC थाना जुनावाई जनपद सम्भल

वांछित अभियुक्तः-

1. दुर्वेश पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सिलहरी थाना सहसवान जनपद बदायूँ

2. इन्दल उर्फ सोनू पुत्र रामौतार निवासी ग्राम धानसिंहपुर थाना सहावर जनपद कासगंज

3. सुमन पुत्र त्रिवेणी निवासी म0नं0 352 गंली नं0 11 ब्लाक साकेत मण्डावली ईस्ट दिल्ली

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।